न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या –51/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

....प्रार्थी

बनाम

1. वीरेन्द्र कुमार बाबूलाल कौम ब्राह्मण निवासी रूपवास –मृतक
   1/1. नीरज शर्मा पुत्र बाबूलाल कौम ब्राह्मण निवासी रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

...अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 2060/1266 रकबा 0.02 बीघा के विरुद्ध बिना आवंटन के दर्ज गैर खातेदारी/खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत।

उपस्थितः–
1–पैरोकार सरकार,
2–श्री राजेश सोगरवाल अभिभाषक अप्रार्थी0
3–श्री नवीन मित्तल अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय दिनांकः– 13.05.2026

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2060/1266 रकबा 0.02बीघा किस्म गैर मुमकिन वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि जमांबदी सम्वत् 2069–72 में वीरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल कौम ब्राह्मण निवासी रूपवास तहसील रूपवास खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि राजकीय खाते में सिवायचक गैर मु0खान के रूप में दर्ज रिकार्ड है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड खसरा टीप सम्वत् 2012–2015 में रहा है। उक्त आराजी बिना किसी आवंटन के हुक्मन खातेदारी से नामान्तकरण संख्या 824 दिनांक 01.12.1973 से जमाबंदी संवत् 2029–32 के खाता संख्या 250 में खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी की काबिज काश्त में है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है, जिसका नियमन नही किया जा सकता है और उस खातेदारी अधिकार देना विधिविरूद्व है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी.सिविल रिट पीटिशन न0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 02.08.2004 में दिए गये निर्देशों के अनुसार निरस्त की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक में दर्ज करने योग्य है साथ ही माननीय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151)लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 तथा मान0उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी.सिविल रिट पिटीशन न0 14757/2017 पुरूषोत्तम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स प्रकरण तैयार किये गये है। उक्त भूमि के खातेदारी प्रभाव शून्य है एवं इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तकरण संख्या 824 आदि को निरस्त करने योग्य है। भूमि आवंटन आदेश नॉन ज्यूडिशियल का प्रकरण है जिसका रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाना है।

इस प्रकार तहसीलदार (भूमिधारी) ने अन्त में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2060/1266 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0 (गै0मु0खान) पर दर्ज हुक्मन खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 824 आदि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किया जावें।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी के कायम मुकाम की तलबी की गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया संलग्न पत्रावली है।

उभय पक्ष अभिभाषगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी कदीम (मकबूजा मालकान चारागाह) दर्ज है, ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रतिबिन्धत श्रेणी में आती हैं। जिस पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी.सिविल रिट पीटिशन न0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 02.08.2004 में दिए गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया गया है। उक्त निर्देशो के तहत जारी आदेश की पालना में रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को उक्त आराजी पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए नामान्तकरण संख्या 824 आदि को निरस्त किया जावे तथा पैरोकार सरकार द्वारा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स प्रेषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2060/1266 रकबा 0.02 बीघा कभी भी न तो चारागाह भूमि रही है और न ही कोई जल बहाव क्षेत्र नदी,नाले,तालाब वगै0 के रूप में रहा है। न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है। अप्रार्थी के पिता को उक्त आवासीय भूखण्ड आराजी ख0न0 1266 गै0मुमकिन पर ग्राम पंचायत रूपवास द्वारा निशुल्क आंवटन 31 राज0टी0एक्ट के तहत किया गया था जिसमें अप्रार्थी के पिता बाबूलाल द्वारा मकान निर्माण हेतु स्वीकृति भी ग्राम पंचायत से प्राप्त की गई जिसके बाद से ही अप्रार्थी के पिता बाबूलाल अपना रिहायशी मकान निर्मित कर निवास कर रहे थे। उनकी मृत्यु पश्चात् अप्रार्थी निवास कर रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अप्रार्थी ने अपने पुराने मकान का पट्टा भी ग्राम पंचायत से दिनांक 20.1.2013 को प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रकार विवादित भूखण्ड आबादी मे है न कि कृषि भूमि में। विवादित आराजी ख0न01266 गै0मु0 खान कभी नही रही है और ना ही खान के प्रयोग में रही है। यदि इस प्रकार की प्रविष्टियां राजस्व अभिलेख में हो रही है तो मौके के विपरीत है इसलिए मान0उच्च न्यायालय के पारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

आदेश अब्दुल रहमान बनाम सरकार एवं पुरूषोत्तम बनाम सरकार के हस्तगत प्रकरण पर लागू नही होते है। विवादित भूमि कृषि भूमि नही है और ना ही काबिल काश्त है और न ही काश्त हो रही है बल्कि यह भूमि आबादी भूमि है जिसमें अप्रार्थी का मकान सन् 1968 से बना हुआ है, इस कारण उक्त रैफरेन्स मैन्टेबिल नही होने के कारण काबिल खारिज योग्य है। अप्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रार्थना पत्र भूमि आंवटन, नक्शा, भवन निर्माण स्वीकृति व आवासीय पट्टे की अप्रमाणित प्रति पेश किये गये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी तहसीलदार ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 2060/1266 रकबा 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन(गै0मु0खान) वाकेग्राम रूपवास तहसील रुपवास पर दर्ज खातेदारी तथा उसके प्रभाव में किये गये नामान्तकरण संख्या 824 को निरस्त करने तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी.सिविल रिट पीटिशन न0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 02.08.2004 तथा माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के क्रमांक 11(151)लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 तथा मान0उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी.सिविल रिट पिटीशन न0 14757/2017 पुरूषोत्तम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया जाकर जाकर विवादित आराजी पर हो रहे अप्रार्थी के खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कर वापिस पूर्व की भांति हो रहे इन्द्राज को बहाल करने की प्रार्थना की गई है। तहसीलदार रूपवास मौके की रिपोर्ट प्राप्त हुई मुताबिक रिपोर्ट जमाबंदी संवत् 2069–72 में खसरा नम्बर 2060/1266 रकबा 0.02 बीघा बीघा किस्म गै0मु0 पर अप्रार्थी की खातेदारी में है तथा वर्तमान में खसरा नम्बर में मौके पर लगभग 25–30 वर्ष पुराने पूर्व के पक्का मकान व दुकान बनी हुई है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार जमाबंदी संवत् 2012 में आ0ख0न0 1266 गैर मुमकिन कदीम दर्ज रिकार्ड है जो संवत् 2029–2032 में बिना किसी आवंटन आदेश के ख0न01266 रकबा 0.02 बीघा पर वीरेन्द्र कुमार वल्द बाबूलाल कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामान्तकरण संख्या 824 से मकबूजा सरकार के स्थान पर जरिये आदेश से वीरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है तथा वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069–72 में भी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी के पिता बाबूलाल ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहवास हेतु भूखण्ड का आवंटन कराया गया था तत्पश्चात् भवन निर्माण स्वीकृति जारी कराई गई है तथा भूमि आवासीय पट्टा भी प्राप्त किया गया है।

उक्त भूमि कभी भी राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज नही रही है और न ही भूमि का नियमन किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत 2023(1) आर.आर.टी. 101 में प्रतिपादित आदेश स्टेट बनाम लक्ष्मन वगै0 दिनांक 20.10.2022 द्वारा "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 82 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित की–आवंटन व नामान्तकरण को रद्द करने हेतु रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का रिकार्ड पेश नही किया गया है जिससे रैफरेन्स अपूर्ण है"। प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत बखूबी चस्पा होते है। दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2060/1266

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

रकबा 0.02 बीघा पर हुक्मन आदेश से खातेदारी की आराजी दर्ज रिकार्ड रही है तथा आराजी पर पक्के मकान व दुकान बनी हुई है। प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसमें यह स्पष्ट हो सके की उक्त आराजी धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती हो।

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजात को भी पेश नही किया है जिसमे रैफरेन्स के सबंध में पूर्ण जांच की जानी संभव नही है:-

1. रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स हाल खसरा नम्बर 2060/1266 रकबा 0.02बीघा के सबंध में पेश किया गया है एवं इसके साविक खसरा नम्बर 1266 का उल्लेख किया है लेकिन इसकी ताईद के लिए मिलान क्षेत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है।
3. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स में आदेश से अप्रार्थी को खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है जो जरिये नामान्तकरण संख्या 824 से अप्रार्थी के हक में भरा जाना कथित कर उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 1266 में खातेदारी देना बताया है, का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है।

अतः तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रैफरेन्स उपर्युक्त विवेचन के क्रम में बाद जांच माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जाना सम्भव नही है। अतः इस प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार रूपवास उपर्युक्तानुसार समस्त दस्तावेज के साथ प्रार्थना पत्र रैफरेन्स पुनः पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगें।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)